पुलिस आदेश सं०- 2[illegible]/199[illegible]

[illegible] व्यवस्था में बितन्तु शाखा के क्षेत्रीय निरीक्षक, परीक्षक, [illegible] निरीक्षक [illegible] एवं संचालक आरक्षी (आपरेटर्स) का पदस्थापन जिलों और [illegible] में [illegible] और पुलिस मुख्यालय पटना में रहता है । ये सभी बितन्तु मुख्यालय के [illegible] में कार्य करते हैं । परन्तु बितन्तु शाखा में क्षेत्रीय एवं जिला [illegible] पर [illegible] बितन्तु पदाधिकारियों का पदस्थापन न होने के कारण क्षेत्रों में [illegible] निरीक्षक से आरक्षी आपरेटर स्तर तक के पदाधिकारियों/कर्मियों पर मुख्यालय का [illegible] पर्यवेक्षण/नियंत्रण [illegible] में कठिनाई हो रही है । अतः तत्काल इस स्थिति में सुधार करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था का आदेश दिया जाता है :-

(क) [illegible]/क्षतिपूर्ति/अनुमति अवकाश :- क्षेत्रीय निरीक्षकों को क्षेत्रीय [illegible] निरीक्षक और परीक्षकों (एच०ए०ओ०/बी०एन०ए०ओ०) को आरक्षी अधीक्षक स्वीकृत करेंगे । स्वीकृति सूचना बितन्तु मुख्यालय में उ०म०नि० (बितन्तु) को देंगे ।

(ख) जिला नियंत्रण कक्ष के संचालकों (स०अ०नि०/सा०आरक्षी) को भी आरक्षी अधीक्षक यह अवकाश देंगे, पर अनुमंडलीय नियंत्रण कक्ष में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देंगे । [illegible] अवकाश [illegible] रखी जायगी ।

(ग) स०अ०नि०/सा० आरक्षी (कंट्रोल रूम) के आवेदन पत्रों को परीक्षक अग्रसारित करेंगे और परीक्षक के आवेदन पत्र क्षेत्रीय निरीक्षक (बितन्तु) अग्रसारित करेंगे । क्षेत्रीय निरीक्षक आवेदन पत्र सीधे समर्पित करेंगे ।

(घ) अन्य स्थानों पर नियुक्त संचालकों (स०अ०नि०/सा०आरक्षी) को यह अवकाश [illegible] निरीक्षक देंगे । अवकाश स्वीकृति के बाद [illegible] थाना/पोस्ट प्रभारी को सूचना दी जायगी । अवकाश पर प्रस्थान/आगमन की प्रविष्टि थाना/पोस्ट की स्टेशन डायरी में की जायगी ।

अवकाश की स्वीकृति उस समय जिला/अनुमंडल/थाना की [illegible] स्थिति को देखते हुए की जायगी ।

(ङ) अन्य सभी प्रकार के अवकाश बितन्तु मुख्यालय से पूर्ववत देय होंगे ।

बिहार [illegible] वाहिनियों में पदस्थापित आपरेटरों के संबंध में यह [illegible] नहीं होगी ।

[illegible] स०अ०नि०/सा०आरक्षी को [illegible]

[illegible]

[illegible] प्रकार [illegible] किये जायेंगे ।

(क्रमशः------2)

(च) जिन मामलों में निलम्बन का औचित्य दिखाई पड़े, उन पदाधिकारियों/कर्मियों के मामले पूर्ण प्रतिवेदन के साथ वितन्तु मुख्यालय में आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई हेतु भेजे जायेंगे। आवश्यक मामलों में आरक्षी अधीक्षक या उनके वरीय अधिकारी निलम्बन भी कर सकते हैं।

(छ) विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर यदि कहीं आपरेटर उपस्थित नहीं हों, अथवा गम्भीर विधि व्यवस्था की स्थिति में यदि कहीं वितन्तु सेट लगाना आवश्यक हो तो वहाँ सप्ताह-दस दिनों के लिये आरक्षी अधीक्षक किसी संचालक को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। उसकी तुरत सूचना स०प०नि० (वितन्तु) को देंगे।

(ज) विभागीय कार्यवाही, वृहद दंड, स्थानान्तरण, अर्जित अवकाश एवं प्रोन्नति मामले पूर्ववत वितन्तु मुख्यालय में सम्पादित होंगे।

(झ) वितन्तु मुख्यालय के उच्चाधिकारी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दण्ड, पुरस्कार आदि के वर्तमान अधिकारों के अनुसार पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। प्रशासनिक कारणों से या कालावधि पूरी होने पर स्थानान्तरण आदि के मामलों में जिला पुलिस के अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रशासनिक कारणों से आरक्षी अधीक्षक या उनके उपर के अधिकारी स्थानान्तरण करने के लिए लिख सकते हैं।

(अरुण कुमार चौधरी)
आरक्षी महानिदेशक सह- महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2042/पी०।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक 31 मार्च, 92.

प्रतिलिपि:-

1- सभी महानिदेशक
2- सभी अपर महानिदेशक
3- सभी क्षेत्रीय महानिरीक्षक, रेलवे सहित
4- आरक्षी महानिरीक्षक, अप०अनु०विभाग/ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भवन निर्माण निगम बिहार
5- प्राचार्य पी०टी०सी०, हजारीबाग
6- सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक, रेलवे, सैन्य पुलिस/ वितन्तु सहित
7- आरक्षी उप-महानिरीक्षक, मुख्यालय एवं प्रशासन
8- सभी आरक्षी [illegible] पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ।
9- सभी आरक्षी अधीक्षक, रेलवे सहित।
10- सभी समादेष्टा/ [illegible] सहित
11- पी-2 शाखा को [illegible] सूचनार्थ।

आरक्षी [illegible] महानिरीक्षक, बिहार पटना